<u>ई-मेल</u>

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

5. नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 	लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2026

विषयः- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी, 2003 (यथासंशोधित 2007)/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, 2005/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, 2014/ उ0प्र0 टाउनशिप पॉलिसी, 2023 के अन्तर्गत चयनित विकासकर्ता द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं के सुख सुविधाओं और अवस्थापना विकास कार्यों के संचालन एवं रख-रखाव के लिये स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (STANDARD OPERATING PROCEDURE -S.O.P.) का निर्धारण।

महोदय,

भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 डब्ल्यू के उप खण्ड-ए (II) में निहित प्राविधान के अनुसार संविधान की 12वीं सूची में निहित मामलों के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित स्थानीय प्राधिकारी का है, जिसमें सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास के कार्य सम्मिलित हैं।

2- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-41 के अनुसार परिषद द्वारा विन्यासित या परिवर्तित और उसकी योजना में निहित सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेय जल, नालियों, सीवर, पार्क और ओपेन स्पेस आदि का कार्य पूर्ण हो जाने पर ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित हो, एक माह का नोटिस देने के पश्चात संक्रमित (transfer) किये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा-41(4) के अनुसार हस्तान्तरण के उपरान्त योजना में निहित सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगें और तत्पश्चात उसके संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। किसी प्रकरण में परिषद एवं स्थानीय प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की स्थिति में उक्त

अधिनियम की धारा-41(5) के अनुसार मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा परिषद एवं स्थानीय प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

3- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-34 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्र की सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को संचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान है। विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय प्राधिकारी के मध्य असहमति होने की स्थिति में विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को मामला अभिदिष्ट किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये निबन्धन एवं शर्तों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा योजना की सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास के कार्यों को हस्तगत किया जायेगा।

4- हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 (यथासंशोधित, 2007) /इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014/उ0प्र0 टाउनशिप नीति, 2023 से संबंधित शासनादेशों में भी निजी विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं की सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को संचालन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को हस्तांतरित किये जाने का प्राविधान है।

5- उपर्युक्त प्रस्तर 1 से 4 में वर्णित तथ्यों के आलोक में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित योजनाओं तथा हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 (यथासंशोधित, 2007), इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 एवं उ0प्र0 टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं के सुख सुविधाओं और अवस्थापना विकास कार्यों को संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित करने के संबंध में निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (STANDARD OPERATING PROCEDURE - S.O.P.) निर्धारित की जाती है :-

परिदृश्य-1: योजना/परियोजना जिसका आंशिक भाग या आंशिक सेवायें हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित हैं:-

क. संबंधित अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी द्वारा योजना के आंशिक भाग का कार्य पूर्ण करने के पश्चात कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र **(संलग्नक-1.क / संलग्नक-1. ख)** के साथ संबंधित कार्यों/मदों का अपेक्षित तकनीकी विवरण युक्त अनुमोदित विन्यास मानचित्र संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को योजना की सुख सुविधायें और अवस्थापना कार्यों को हस्तगत करने का

अनुरोध पत्र भेजा जायेगा।

ख. सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा योजना/परियोजना का सक्षम स्तर से नामित पदाधिकारियों के माध्यम से हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्य/मदों का सम्बन्धित अभिकरण/निजी विकासकर्ता द्वारा नामित पदाधिकारियों की उपस्थिति में 30/45/60 दिनों में निरीक्षण कराया जायेगा, जिसका विवरण निरीक्षण की चेक लिस्ट **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2. ख)** पर अंकित किया जायेगा। निरीक्षण के समय सुख सुविधायें और अवस्थापना विकास कार्यों का प्राविधान अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने की स्थिति में निरीक्षणकर्ता पदाधिकारियों द्वारा हस्तान्तरण हेतु संस्तुति/प्रमाण पत्र **(संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)** पर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आपसी सहमति के साथ अभिकरण/निजी विकासकर्ता के अधिकृत पदाधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र **(संलग्नक-4.क / संलग्नक-4.ख)** जारी किया जायेगा तथा योजना/परियोजना की सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित होंगे एवं तत्पश्चात उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(**नोट-** हस्तान्तरण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल की योजना/ परियोजना हेतु 30 दिन, 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 500 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल हेतु 45 दिन एवं 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजना हेतु 60 दिन का समय निर्धारित किया जाता है।)

ग. निरीक्षण के समय सुख सुविधाओं और अवस्थापना विकास कार्यों का प्राविधान अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संस्तुति/प्रमाण पत्र **(संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)** पर अंकित कमियों की स्थिति एवं प्रकृति तथा कमियों के निराकरण हेतु कार्यों के व्ययानुमान से संबंधित अभिकरण/निजी विकासकर्ताओं को निरीक्षण हेतु निर्धारित अवधि में अवगत कराया जायेगा। सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पायी गयी समस्त कमियां एक बार में निरीक्षण टिप्पणी **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2.ख)** के माध्यम से संबंधित अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी को अवगत करायी जायेगी।

घ. निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु व्ययानुमान उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम की विशिष्टियों एवं उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की सम्बन्धित जनपद में प्रचलित दर अनुसूची के आधार पर तैयार किया जायेगा।

च. यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों में पायी गयी कमियां एवं उसके निराकरण हेतु व्ययानुमान **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2.ख तथा संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)** के माध्यम से निर्धारित अवधि के अंतर्गत संबंधित अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी को इंगित की जाती है तो यथास्थिति, अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी द्वारा, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने एवं यथावश्यक सुधार हेतु, उभय पक्षों की सहमति से आवश्यक धनराशि 90 दिनों के अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। अभिकरण/निजी विकासकर्ता एवं सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी की आपसी सहमति से उक्त धनराशि का भुगतान किश्तों में भी किया जा सकता है। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त धनराशि से योजना/परियोजना के सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने या यथास्थिति सुधार की कार्यवाही की जायेगी। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर अभिकरण/निजी विकासकर्ता के अधिकृत पदाधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र **(संलग्नक-4.क / संलग्नक-4.ख)** जारी किया जायेगा तथा योजना/परियोजना की सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित होंगे एवं तत्पश्चात उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

परिदृश्य-2: योजना जिसकी सभी सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित हैं-

क. यदि योजना के समस्त सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उसका कोई आंशिक भाग संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को पूर्व में हस्तान्तरित नहीं है तो परिदृश्य-1 के प्रस्तर-क से प्रस्तर-च के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

ख. यदि योजना का आंशिक भाग या उसकी आंशिक सुख सुविधायें एवं अवस्थापना विकास कार्य पूर्व में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित हैं तो अवशेष सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरण हेतु परिदृश्य-1 के प्रस्तर-क से प्रस्तर-च के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6- उल्लेखनीय बिन्दुः-

क. निजी विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित अभिकरण से कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर परियोजना की सुख सुविधाओं/अवस्थापना विकास कार्यों को स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित करने हेतु **संलग्नक-1. ख** के साथ

अनुरोध पत्र प्रेषित किया जायेगा।

ख. योजना के हस्तान्तरित होने के उपरान्त भी सुख सुविधा एवं अवस्थापना विकास कार्यों के निष्पादन हेतु गठित अनुबन्धों में निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में कमियां/समस्या निवारण का दायित्व संबंधित अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी का होगा।

ग. भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं भविष्य में संचालित होने वाली ऐसी अन्य आवासीय योजनाओं के परिसर की सुख सुविधाओं और अवस्थापना विकास कार्यों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरण उपरिवर्णित प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।

घ. नगर निगमों के क्षेत्र में स्थित योजनाओं/परियोजनाओं में संबंधित नगर निगम की ओर से सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु न्यूनतम दो अधिकारियों को नगर आयुक्त द्वारा नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण करते हुए **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2.ख)** में निरीक्षण टिप्पणी एवं कमियों के निवारण हेतु, यथा स्थिति, व्ययानुमान **(संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)** में उपलब्ध कराया जायेगा।

च. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित योजनाओं/परियोजनाओं में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की ओर से सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु न्यूनतम दो अधिकारियों को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण करते हुए **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2.ख)** में निरीक्षण टिप्पणी एवं कमियों के निवारण हेतु यथा स्थिति, व्ययानुमान **(संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)** में उपलब्ध कराया जायेगा।

छ. यदि परिदृश्य-1 एवं परिदृश्य-2 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार योजना/परियोजना के सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के हस्तांतरण में संबंधित अभिकरण / निजी विकासकर्ता कम्पनी एवं स्थानीय प्राधिकारी के मध्य कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण संबंधित मण्डलायुक्त को अभिदिष्ट किया जायेगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त आवश्यकतानुसार राज्य सरकार का परामर्श/ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

ज. अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी द्वारा योजना/परियोजना के सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के स्थानीय प्राधिकारी को हस्तान्तरण हेतु अनुरोध पत्र के साथ, यथा स्थिति, निम्न संलग्नक प्रेषित किये जायेंगे -

(1) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र **(संलग्नक-1.क / संलग्नक- 1.ख)**

(2) निरीक्षण की चेक लिस्ट का प्रारूप **(संलग्नक-2.क / संलग्नक-2.ख)**

(3) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की संस्तुति/प्रमाण-पत्र का प्रारूप **(संलग्नक-3.क / संलग्नक-3.ख)**

(4) हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र का प्रारूप **(संलग्नक-4.क / संलग्नक-4.ख)**

(5) अभिकरण/निजी विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सम्बन्धित सरकार/उपक्रम/निकाय/अभिकरण इत्यादि को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की तिथि तक देय समस्त देयकों/करों एवं उपकरों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र/वचन बद्धता (Undertaking) **(संलग्नक-5.क / संलग्नक-5.ख)**

(6) सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को आवश्यक तकनीकी विवरण सहित स्वीकृत विन्यास मानचित्र पर प्रदर्शित 'As Built' मानचित्र की प्रतियॉं (दो सेट)

(7) हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्यों की इन्वेन्ट्री जो उपलब्ध करायी जा सकती है। (दो सेट)

(8) सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों में उपयोगी यंत्रों आदि के आपरेशन मेन्टीनेन्स सम्बन्धी मैनुवल/एस.ओ.पी. की प्रति।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपलान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
GURU PRASAD PORALA
(पी0 गुरुप्रसाद)
02:37:03
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
GIRISH CHANDRA MISHRA
Date: 24-06-2026
(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–01 (क)
(उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/
विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु)

कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र
(Completion Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि (आवासीय योजना का नाम) .... स्थित (मुख्य मार्ग का नाम) .... जनपद .... के आवासीय योजना का विकास कार्य आवश्यक तकनीकी मानकों के अनुसार एवं उच्च गुणवत्ता के साथ दिनांक .... को पूर्ण कराया जा चुका है, जो सक्षम स्तर से स्वीकृत विन्यास मानचित्र एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है। आवासीय योजना में विकसित/निर्मित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों से प्रदर्शित 'As Built' विन्यास मानचित्र की प्रतियाँ प्रमाण पत्र के साथ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम – अवर अभियन्ता	पद नाम – सहायक अभियन्ता
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण
संलग्नक– आवासीय योजना में विकसित/निर्मित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों से प्रदर्शित 'As Built' स्वीकृत विन्यास मानचित्र की प्रतियां एवं अन्य अभिलेख...........नग	हस्ताक्षर
	पूरा नाम
	पदनाम– अधिशासी अभियन्ता/अभियंत्रण प्रभारी
दिनांक	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण

संलग्नक–01 (ख)
(निजी विकासकर्ताओं द्वारा
विकसित परियोजना हेतु)

कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र
(Completion Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि (आवासीय परियोजना का नाम) .... स्थित (मुख्य मार्ग का नाम) .... जनपद .... के (हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005 एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014/न्यू टाउनशिप नीति, 2023 एवं शासकीय नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाएं) आवासीय परियोजना का विकास कार्य विकास अनुबन्ध में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं उच्च गुणवत्ता के साथ दिनांक .... को पूर्ण कराया जा चुका है, जो स्वीकृत विन्यास मानचित्र एवं विकास अनुबन्ध के अनुरूप है। आवासीय परियोजना में विकसित/ निर्मित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों से प्रदर्शित 'As Built' विन्यास मानचित्र की प्रतियाँ एवं विकसित/निर्मित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों हेतु शासकीय अभिकरण (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण) के सक्षम प्राधिकारी से जारी कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) की प्रमाणित प्रतियां इस प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम – प्राधिकृत अभियन्ता/पदाधिकारी	पद नाम – प्रबन्ध निदेशक
निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम	निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम

संलग्नक– आवासीय परियोजना में विकसित/ निर्मित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों से प्रदर्शित 'As Built' स्वीकृत विन्यास मानचित्र की प्रतियाँ एवं शासकीय अभिकरण (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण) के सक्षम प्राधिकारी से जारी कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र (Completion Certificate)/अन्य अभिलेख.............. नग	
दिनांक –	

संलग्नक–02 (क)
(उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/
विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु)

आवासीय योजना हस्तान्तरण के समय निरीक्षण की चेक लिस्ट

आवासीय योजना का नाम ....स्थिति ....
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण
निरीक्षण तिथि ....

निरीक्षण का विवरण		विवरण के प्रकार		मंतव्य/कथन
		स्थिति*	कमियों की प्रकृति	
भाग प्रथम– नवविकसित आवासीय योजना की सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों का हस्तान्तरण				
1. सड़क निर्माण				
अ–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
ब–	क्या आवासीय योजना के मुख्य मार्गों में मीडियन/कर्ब के निर्माण एवं रोड मार्किंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
2. पार्क एवं ओपेन स्पेस का निर्माण/विकास				
	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पार्क एवं ओपेन स्पेस के निर्माण/विकास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
3. वृक्षारोपण				
अ–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
ब–	क्या आवाासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप ग्रीन बेल्ट में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
4. जलोत्सारण का कार्य				
अ–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप वर्षा जल निकासी हेतु नालियों एवं नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		
ब–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पुलियों (कल्वर्ट) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉं/नहीं		

5. पेय जल आपूर्ति का कार्य				
अ–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप **पेयजल वितरण प्रणाली** का कार्य निर्धारित व्यास के पाइप, स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाइड्रेन्ट इत्यादि को लगाते हुए पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
ब–	क्या आवासीय योजना में पेय जलापूर्ति हेतु **ओवरहेड टैंक व भूमिगत जलाशयों** को उनकी निर्धारित क्षमता व आवश्यक संख्या में पम्पों/पम्प हाउस की स्थापना तथा राइजिंग मेन्स के प्राविधान के साथ पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
6. मार्ग प्रकाश व्यवस्था				
	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप मार्ग **प्रकाश व्यवस्था** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
7. मलोत्सारण (सीवरेज)				
अ–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप **सीवर प्रणाली** (जिसमें पाइप की लेईंग तथा मैनहोल व हाउस कनेक्टिंग चैम्बर का निर्माण सम्मिलित है) निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
ब–	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सीवेज डिस्पोजल हेतु **इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन/सम्पवेल** तथा निर्धारित क्षमता के आवश्यक पम्पों की स्थापना एवं राइजिंग मेन्स का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
स–	क्या **सीवेज शोधन हेतु** सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) के निर्माण एवं उसके प्रवाह (effluent) के समुचित निस्तारण हेतु व्यवस्था कर ली गयी है?	हॉ/नहीं		
द–	क्या **सीवेज के अन्तिम निस्तारण** करने हेतु विकास प्राधिकरण/ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की अवस्थित/निर्मित ट्रंक सीवर लाइन में जोड़ते हुए इसे क्रियाशील कर लिया गया है (जहां ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो)?	हॉ/नहीं		
8. ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन				
	क्या आवासीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु **कूड़ा एकत्रीकरण केन्द्र** आदि की व्यवस्था कर ली गयी है?	हॉ/नहीं		

9. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग				
	क्या योजना के अन्तर्गत **ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम** का विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
10. सामुदायिक सुविधाएं				
	क्या योजना के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक केन्द्र/क्लब एवं ऐसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं जो हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित है का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है?			
भाग–द्वितीय, शहर की अवस्थित अवस्थापना प्रणाली से संयोजन/क्रियाशील होने की स्थिति				
1	क्या योजना के मुख्य मार्गों को स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप **पहुँच मार्ग से संयोजित** कर दिया गया है?	हॉ/नहीं		
2	क्या योजना के **वर्षा जल की निकासी** (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था) स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण/क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ/नहीं		
3	क्या **पेयजल की व्यवस्था** के (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय आदि के वाटर वर्क्स/ ट्रंक जलापूर्ति लाइन से) संयोजन की व्यवस्था स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण/क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ/नहीं		
4	क्या आवासीय योजना के अंतर्गत **विद्युत व्यवस्था** (33/11 के.वी.ए. उपकेन्द्र से संयोजन की स्थिति व ट्रान्सफार्मर की स्थापना के साथ) स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण/क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ/नहीं		
5	क्या योजना के **सीवेज शोधन** हेतु स्वीकृत विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समीपस्थ अवस्थित एस.टी.पी. से योजना के **ट्रंक सीवर लाइन/इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन को राइजिंग मेन्स** से संयोजित करते हुए क्रियाशील कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		

नोट– *'**स्थिति**' कॉलम में '**नहीं**' लागू होने की दशा में '**प्रकृति**' कॉलम में प्रश्नगत मद की कमियों की प्रकृति एवं उसके स्थल का वर्णन किया जाएगा।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी – 1

निरीक्षणकर्ता अधिकारी – 2

संलग्नक–02 (ख)
(निजी विकासकर्ताओं द्वारा
विकसित परियोजना हेतु)

आवासीय परियोजना हस्तान्तरण के समय निरीक्षण की चेक लिस्ट

आवासीय परियोजना का नाम ....स्थिति ....

निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम...

निरीक्षण तिथि ....

निरीक्षण का विवरण		विवरण के प्रकार		मंतव्य / कथन
		स्थिति*	कमियों की प्रकृति	
भाग प्रथम– नवविकसित आवासीय परियोजना की सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों का हस्तान्तरण				
1. सड़क निर्माण				
अ–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप **सड़कों का निर्माण** कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
ब–	क्या आवासीय परियोजना के मुख्य मार्गों में मीडियन / कर्ब के निर्माण एवं रोड मार्किंग का कार्य निर्धारिण विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
2. पार्क एवं ओपेन स्पेस का निर्माण / विकास				
	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप **पार्क एवं ओपेन स्पेस के निर्माण / विकास** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
3. वृक्षारोपण				
अ–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप **सड़कों के किनारे वृक्षारोपण** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
ब–	क्या आवाासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप **ग्रीन बेल्ट में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		

4. जलोत्सारण का कार्य				
अ–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप **वर्षा जल निकासी हेतु नालियों एवं नाले** का **निर्माण** कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
ब–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप **पुलियों (कल्वर्ट) का निर्माण** कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
5. पेय जल आपूर्ति का कार्य				
अ–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप **पेयजल वितरण प्रणाली** को निर्धारित व्यास के पाइप, स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाइड्रेन्ट इत्यादि को लगाते हुए पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
ब–	क्या आवासीय परियोजना में पेय जलापूर्ति हेतु **ओवरहेड टैंक व भूमिगत जलाशयों** को उनकी निर्धारित क्षमता व आवश्यक संख्या में पम्पों/पम्प हाउस की स्थापना तथा राइजिंग मेन्स के प्राविधान के साथ पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
6. मार्ग प्रकाश व्यवस्था				
	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप **मार्ग प्रकाश व्यवस्था** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
7. मलोत्सारण (सीवरेज)				
अ–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप **सीवर प्रणाली** (जिसमें पाइप की लेईंग तथा मेनहोल व हाउस कनेक्टिंग चैम्बर का निर्माण सम्मिलित है) निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		
ब–	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/ विकास अनुबन्ध के अनुरूप सीवेज डिस्पोजल हेतु **इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन/सम्पवेल तथा निर्धारित क्षमता के आवश्यक पम्पों की स्थापना एवं राइजिंग मेन्स** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ/नहीं		

स–	क्या **सीवेज शोधन हेतु** सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) के निर्माण एवं उसके प्रवाह (effluent) के समुचित निस्तारण हेतु व्यवस्था कर ली गयी है?	हॉ / नहीं		
द–	क्या **सीवेज के अन्तिम निस्तारण** करने हेतु विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय निकाय आदि की निर्मित ट्रंक सीवर लाइन में जोड़ते हुए इसे क्रियाशील कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
8. ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन				
	क्या आवासीय परियोजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु **कूड़ा एकत्रीकरण केन्द्र** आदि की व्यवस्था कर ली गयी है?	हॉ / नहीं		
9. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग				
	क्या परियोजना के अन्तर्गत **ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम** का विकास / निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
10. सामुदायिक सुविधाएं				
	क्या योजना के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप निर्मित सामुदायिक केन्द्र / क्लब एवं ऐसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण / विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		
भाग–द्वितीय, शहर की अवस्थित अवस्थापना प्रणाली से संयोजन / क्रियाशील होने की स्थिति				
1	क्या परियोजना के मुख्य मार्गों को शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप **पहुँच मार्ग** से संयोजित कर दिया गया है?	हॉ / नहीं		
2	क्या परियोजना के **वर्षा जल की निकासी** (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था) शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप पूर्ण / क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ / नहीं		
3	क्या **पेयजल** की **व्यवस्था** के (जल संस्थान / विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय आदि के वाटर वर्क्स / ट्रंक जलापूर्ति लाइन से) संयोजन की व्यवस्था शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप पूर्ण / क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ / नहीं		

4	क्या आवासीय परियोजना के अंतर्गत **विद्युत व्यवस्था** (33 / 11 के.वी.ए. उपकेन्द्र से संयोजन की स्थिति व ट्रान्सफार्मर की स्थापना के साथ) स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप पूर्ण / क्रियाशील कर ली गयी है?	हॉ / नहीं		
5	क्या परियोजना के **सीवेज शोधन** हेतु शासकीय अभिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / विकास अनुबन्ध के अनुरूप स्थानीय निकाय के एस.टी.पी. से परियोजना के **ट्रंक सीवर लाइन / इन्टरमीडिएट पम्पिंग के राइजिंग मेन्स** का संयोजन करते हुए उसे क्रियाशील कर लिया गया है?	हॉ / नहीं		

नोट– *'**स्थिति**' कॉलम में '**नहीं**' लागू होने की दशा में '**प्रकृति**' कॉलम में प्रश्नगत मद की कमियों की प्रकृति एवं उसके स्थल का वर्णन किया जाएगा।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी – 1

निरीक्षणकर्ता अधिकारी – 2

संलग्नक–03 (क)
(उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/
विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु)

हस्तान्तरण हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की संस्तुति/प्रमाण–पत्र*

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण (कार्यालय का नाम एवं पता) के अधिशासी अभियन्ता/अभियंत्रण प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये ....(योजना का नाम) के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) के संलग्नक में सड़क, पार्क/ओपेन स्पेस, वृक्षारोपण, जलोत्सारण, पेय जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, मलोत्सारण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं** का विवरण अंकित है। सक्षम स्तर से अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र पर प्रदर्शित 'As Built' सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के प्राविधान को चेक कर लिया गया है। योजना हस्तान्तरण हेतु (संबंधित नगर निगम/स्थानीय निकाय का नाम) के अधिकृत आधिकारियों द्वारा योजना में सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों की निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है। योजना के सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

अथवा*

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण (कार्यालय का नाम एवं पता) के अधिशासी अभियन्ता/अभियंत्रण प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) में निहित सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के अतिरिक्त अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार निम्न मदों के कार्य योजना स्थल पर निष्पादित नहीं पाये गये हैं एवं कतिपय कार्यों में विभिन्न मदों के नवीनीकरण की आवश्यकता है जो कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किये जाने हैं***:–

1. कार्य का नाम .... रू0 ....
2. कार्य का नाम .... रू0 ....
3. कार्य का नाम .... रू0 ....

योग रू0 ....

प्राप्त कमियों की चेक लिस्ट संलग्न है :–

हस्ताक्षर .... नाम .... पद (अधिकृत अधिकारी)	हस्ताक्षर .... नाम .... पद (अधिकृत अधिकारी) ....

नोट–

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाये।

** जिन कार्यों का हस्तांतरण प्रस्तावित नहीं हो, उसे काट दिया जाये।

*** स्थल पर निरीक्षण के समय अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये/अपूर्ण कार्यों एवं कतिपय कार्यों में नवीनीकरण से सम्बन्धित मदों का विस्तृत आगणन प्राप्त कामियों की चेक लिस्ट के साथ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण को नगर निगम/स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक–03 (ख)
(निजी विकासकर्ताओं द्वारा
विकसित परियोजना हेतु)

हस्तान्तरण हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की संस्तुति/प्रमाण–पत्र*

हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014/न्यू टाउनशिप पॉलिसी, 2023 एवं शासकीय नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाएं (निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम एवं पता) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) के संलग्नक में सड़क, पार्क/ओपेन स्पेस, वृक्षारोपण, जलोत्सारण, पेय जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, मलोत्सारण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं** का विवरण अंकित है। शासकीय अभिकरण के सक्षम स्तर से अनुमोदित विन्यास मानचित्र/विकास अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र पर प्रदर्शित 'As Built' अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्राविधान को चेक कर लिया गया है। परियोजना हस्तान्तरण हेतु (संबंधित नगर निगम/स्थानीय निकाय का नाम) के अधिकृत आधिकारियों द्वारा परियोजना में अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के कार्यों की निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है। परियोजना के अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के कार्यों के हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

अथवा*

हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014/न्यू टाउनशिप पॉलिसी, 2023 एवं शासकीय नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाएं (निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम एवं पता) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) में निहित अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के कार्यों के अतिरिक्त शासकीय अभिकरण के सक्षम स्तर से अनुमोदित विन्यास मानचित्र/विकास अनुबन्ध के अनुरूप निम्न मदों के कार्य परियोजना स्थल पर निष्पादित नहीं पाये गये हैं एवं कतिपय कार्यों में विभिन्न मदों के नवीनीकरण की आवश्यकता है जो कि निजी विकासकर्ता द्वारा पूर्ण किये जाने हैं***:–

1. कार्य का नाम .... रू0 ....
2. कार्य का नाम .... रू0 ....
3. कार्य का नाम .... रू0 ....

योग रू0 ....

प्राप्त कमियों की चेक लिस्ट संलग्न है :–

हस्ताक्षर .... नाम .... पद (अधिकृत अधिकारी)	हस्ताक्षर .... नाम .... पद (अधिकृत अधिकारी) ....

नोट–

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाये।

** जिन कार्यों का हस्तांतरण प्रस्तावित नहीं हो, उसे काट दिया जाये।

*** स्थल पर निरीक्षण के समय अनुमोदित विन्यास मानचित्र/निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये/अपूर्ण कार्यों एवं कतिपय कार्यों में नवीनीकरण से सम्बन्धित मदों का विस्तृत आगणन प्राप्त कामियों की चेक लिस्ट के साथ निजी विकासकर्ता को नगर निगम/स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक–04 (क)
(उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु)

हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण ....(कार्यालय का नाम एवं पता) के अधिशासी अभियन्ता / अभियंत्रण प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये ....(योजना का नाम) के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) के संलग्नक में सड़क, पार्क / ओपेन स्पेस, वृक्षारोपण, जलोत्सारण, पेय जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, मलोत्सारण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं का विवरण अंकित है। सक्षम स्तर से अनुमोदित विन्यास मानचित्र / निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र पर प्रदर्शित अवस्थापना विकास कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्राविधान को चेक कर लिया गया है। योजना हस्तान्तरण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र **(संलग्नक–1.क)** (संबंधित नगर निगम / स्थानीय निकाय का नाम) के अधिकृत आधिकारियों द्वारा योजना में सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों की निरीक्षण टिप्पणी **(संलग्नक–2.क)** तथा हस्तान्तरण हेतु संस्तुति **(संलग्नक–3.क)** के अनुसार योजना के सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को (संबंधित नगर निगम / स्थानीय निकाय का नाम) द्वारा हस्तगत किया जाता है।

हस्तान्तरित*		हस्तगत*
क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद /	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण	नगर आयुक्त नगर निगम

नोट–

* स्थानीय निकाय के क्षेत्र में स्थित योजनाओं के हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र पर उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरण की ओर से अधिशासी अभियन्ता एवं स्थानीय निकाय की ओर से सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

संलग्नक–04 (ख)
(निजी विकासकर्ताओं द्वारा
विकसित परियोजना हेतु)

हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र

हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014/ न्यू टाउनशिप पॉलिसी, 2023 एवं शासकीय नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाएं ....(निजी विकासकर्ता कम्पनी का नाम एवं पता) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) के संलग्नक में सड़क, पार्क/ओपेन स्पेस, वृक्षारोपण, जलोत्सारण, पेय जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, मलोत्सारण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं का विवरण अंकित है। शासकीय अभिकरण के सक्षम स्तर से अनुमोदित विन्यास मानचित्र/विकास अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र पर प्रदर्शित अवस्थापना विकास कार्यों एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्राविधान को चेक कर लिया गया है। योजना हस्तान्तरण हेतु निजी विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र **(संलग्नक–1.ख)** (संबंधित नगर निगम/स्थानीय निकाय का नाम) के अधिकृत आधिकारियों द्वारा योजना में अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के कार्यों की निरीक्षण टिप्पणी **(संलग्नक–2.ख)** तथा हस्तान्तरण हेतु संस्तुति **(संलग्नक–3.ख)** के अनुसार योजना के अवस्थापना विकास एवं सामुदायिक सुविधाओं के कार्यों को (संबंधित नगर निगम/स्थानीय निकाय का नाम) द्वारा हस्तगत किया जाता है।

हस्तान्तरित	हस्तगत
प्रबन्ध निदेशक निजी विकासकर्ता का नाम	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/स्थानीय निकाय

संलग्नक–05 (क)
(उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/
विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु)

देयक/कर/उपकर की अदेयता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(योजना का नाम) की सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को ....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित योजना क्षेत्र में स्थित सुख सविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के सापेक्ष सम्बन्धित सरकार/उपक्रम/निकाय/अभिकरण इत्यादि को देय समस्त देयकों/करों तथा उपकरों का भुगतान किया जा चुका है तथा कोई देयता अवशेष नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/
विकास प्राधिकरण

संलग्नक–05 (ख)
(निजी विकासकर्ताओं द्वारा
विकसित परियोजना हेतु)

देयक/कर/उपकर की अदेयता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(परियोजना का नाम) की सुख सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों को ....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित योजना क्षेत्र में स्थित सुख सविधाओं एवं अवस्थापना विकास कार्यों के सापेक्ष सम्बन्धित सरकार/उपक्रम/निकाय/अभिकरण इत्यादि को देय समस्त देयकों/करों तथा उपकरों का भुगतान किया जा चुका है तथा कोई देयता अवशेष नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक
निजी विकासकर्ता कम्पनी